

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का शीर्ष निकाय है तथा अभिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जा रही इसकी प्रगति तथा उसके कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने तथा ऐसे नीति निर्देशन, जिन्हें सोसाइटी उचित समझे, देने के लिए सोसाइटी की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है। माननीय जल संसाधन मंत्री सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष इसके कार्य संचालन के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो सोसाइटी द्वारा उन्हें दी जाती हैं। इसके साथ-साथ समय-समय पर सोसाइटी के कार्य तथा प्रगति की समीक्षा करने तथा सोसाइटी के कुशल संचालन के लिए समितियां और आयोग नियुक्त करने अथवा सोसाइटी की कार्य स्थिति के विषय में जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने और ऐसे आदेश, जिन्हें वे उचित समझे, देने का अधिकार भी अध्यक्ष को प्राप्त है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के सदस्यगण

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | केंद्रीय जल संसाधन मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3. | सदस्य (कृषि एवं जल संसाधन) योजना आयोग | सदस्य |
| 4. | मुख्यमंत्री/मंत्री तथा उनके सचिव या उनके प्रतिनिधि जिनका स्तर मुख्य अभियंता से कम न हो और जल संसाधन/ सिंचाई के प्रभारी हों आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, पुडुचेरी संघ राज्य सरकार के। | सदस्य |
| 5. | सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य |
| 6. | सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग)या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो । | सदस्य |
| 7. | सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो । | सदस्य |
| 8. | ऊर्जा मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो । | सदस्य |
| 9. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो । | सदस्य |
| 10. | पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो । | सदस्य |
| 11. | योजना आयोग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 12. | अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग । | सदस्य |
| 13. | अध्यक्ष, केंद्रीय भू-जल बोर्ड । | सदस्य |

14. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण । सदस्य
15. अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार । सदस्य
16. सदस्य (जल, नीति व आयोजना), केंद्रीय जल आयोग । सदस्य
17. सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग । सदस्य
18. महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो । सदस्य
19. महानिदेशक, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो । सदस्य
20. भारत के महासर्वेक्षक या उनके प्रतिनिधि, भारतीय सर्वेक्षण । सदस्य
21. निदेशक, राष्ट्रीय दूर संज्ञान केन्द्र या उनका प्रतिनिधि । सदस्य
22. आयुक्त (परियोजना), जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार । सदस्य
23. महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण । सदस्य—सचिव